

	M	T	W	T	F	S	S
						1	2
						8	9
3	4	5	6	7	8	15	16
10	11	12	13	14	15	22	23
17	18	19	20	21	22	29	30
24	25	26	27	28	29		

May 04

2019

Wk 18 • 124-241

Saturday

1995 के अशक्तता संबंधी एक्ट The Disability Act 1995.

निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी आधिनियम 1995 का राजपत्र के अध्याय-2 के अनुसार विवरण है —

विशिवटता और पूर्वगामी व्यवस्थाओं की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए निम्नलिखित कृत्यों में से सभी या किन्हीं का अनुयायन कर सकेगी, अर्थात् —

1) सरकार के सभी स्थानीय विभागों और अन्य सरकारी एजेंसियों और सरकारी संगठनों के जो निःशक्त व्यक्तियों से सम्बंधित हैं। क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन और समन्वय करना।

2) निःशक्त व्यक्तियों के स्वामित्व आने वाली समस्याओं का हल ढूँढने के लिए राष्ट्रीय नीति विकसित करना।

3) निःशक्तों की नीतियों कार्यक्रम, विधान और परियोजनाएँ तैयार करने के बारे में

4) केन्द्रीय सरकार के सलाह देना।
दाला अभिकरणों के साथ मूलाभूत करके उनकी कुविधि जुटाने की नीतियों का निःशक्त व्यक्तियों पर उनका प्रभाव के परिपेक्ष्य

Sunday 05

Important Calls	✓	Things to Do	✓	Meetings	✓
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Monday

पुनरावलोकन करना।
 5. सार्वजनिक स्थानों, कार्य-स्थलों, धूम-
 सुविधा स्थलों, विद्यालयों और संस्थाओं
 10.00 बाधारहित वातावरण सुनिश्चित करने के
 लिए रैली अन्य उपाय करना।
 11.00 रैली अन्य कृत्य करना जो केंद्रीय
 सरकार विहित करे।

16. निशक्त व्यक्ति समान अपरार अधिकार
 1.00 संरक्षण और पूर्ण प्राधिकारी अधिनियम
 2.00 1995 का राजतंत्र क अध्याय - 4 के
 अनुसार विवरण में है -
 निशक्तता का विचारण और शीघ्र
 पता चलाया जाना -

1. अपनी आधिकारिक सामर्थ्य और विकास
 3.00 की सीमाओं के भीतर समुचित सरकार
 4.00 और स्थानीय प्राधिकारी निशक्तता की
 आवृत्ति विचारण की दृष्टि से -

2. निशक्तता की आवृत्ति के कारण से
 5.00 समुबंधित सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान
 6.00 करेंगे।

3. निशक्तता का विचारण करने की
 विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करेंगे।

4. जोखिम वाले मामलों को पहचानने
 के प्रयोजन के लिए एक वर्ष में कम से कम
 एक बार सभी थालकों की जांच करेंगे।

Important Calls	✓	Things to Do	✓	Meetings	✓
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

5) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की प्रशिक्षण दिनों की सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे।

6) साधारण स्वच्छता और सफाई के प्रति जागरूकता अभियानों को प्रायोजित करेंगे या जामबारी प्रसारित करेंगे।

7) माता और सतान की प्रसव पूर्व प्रसव कालीन और प्रसव पश्चात देख-रेख के लिए उपाय करेंगे।

8) विद्यालय पूर्व विद्यालयों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं और आंगन वाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करेंगे।

9) निःशुल्क के कारणों और अपनाय जाने वाले विचारक उपायों पर रेडियो विज्ञान रेडियो और अन्य जनसम्युक्त साधनों के माध्यम से जन साधारण के मध्य जागरूकता पैदा करेंगे।

10) निःशुल्क व्याक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का राजदल के अध्याय-5 के अनुसार विवरण यों हैं -

समाचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारी समाचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निःशुल्क बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा आदि की व्यवस्था किया जाना -

Important Calls	✓ Things to Do	✓ Meetings	✓
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	M	T	W	T	F	S	S
			1	2	3	4	5
MAY '19	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30			

समुचित सरकारी द्वारा निःशक्त बालकों के विद्यालयों के लिए शिक्षित जनशक्तियों को नियुक्त करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का स्थापित किया जाना।

समुचित सरकारें ऐसी नई सहायक युक्तियों शिक्षा सहायक यंत्रों और विशेष शिक्षण सामग्री या ऐसी अन्य वस्तुओं का जो किसी निःशक्त बालकों को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है डिजाइन और उनके लिए अनुसंधान करेगी या सरकारी, गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा अनुसंधान कराएंगी।

समुचित सरकारी द्वारा परिवहन सुविधाओं प्रदान के प्रदान आदि के लिए व्यापक शिक्षा स्कीम का तैयार किया जाना -

(i) निःशक्त बालकों के लिए परिवहन सुविधाएं या उनके माता-पिता व अभिभावकों को वैकल्पिक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने कि उनके निःशक्त बालकों विद्यालयों में जा सकें।

(ii) निःशक्त बालकों को छात्रवृत्ति देना। दुर्लभ विद्यार्थियों और कम दूर के विद्यार्थियों के फायदे के लिए प्रवृत्तियों गणित सम्बन्धी प्रश्नों को हल करने के लिए परीक्षा पद्धति में उपयुक्त परिवर्तन करना। निःशक्त बालकों के फायदे के लिए माध्यम

Important Calls	✓	Things to Do	✓	Meetings	✓
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

की पुनः संरचना करना।
 (iv) प्रवर्ग शाकल जूहास वाले विद्यार्थियों के फायदे के लिए उनके पाठ्यक्रम के भाग के रूप में केवल एक लेनो हेतु उन्हें सनक बमन के लिए पाठ्यक्रम की पुनः संरचना करना।

(v) निःशक्त बालकों को दालवृत्ति देना।

(vi) विद्यालय जानने वाले निःशक्त बालकों के लिए पुस्तकों, वरिष्ठों और अन्य सामग्री का प्रदान करना।

(vii) निःशक्त बालकों के पुनर्निर्माण के अवसर उनके माता-पिता की शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित मंच स्थापित करना।

(viii) निःशक्त बालकों के फायदे के लिए पाठ्यक्रम की पुनः संरचना करना।

Important Calls	✓	Things to Do	✓	Meetings	✓
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>